



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता उप महा प्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उप क्षेत्र नवापारा, छाल, जिला रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में संरक्षित वन 176.710 हे., राजस्व वन 8.307 हे.; कुल 185.017 हे. की मांग कोयला उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देश अनुसार निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है:-

- खदान के कर्मचारियों एवं मजदूरों हेतु पाईप के माध्यम से गैस सप्लाई की जाये ताकि जलाऊ हेतु वनों पर दबाव न पड़े।
- इस खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाये ताकि अस्थाई निर्माण हेतु वनों पर दबाव न पड़े।
- सेपटी जोन क्षेत्र में 6 फीट ऊंची रिकायल बारबेड वायर फैसिंग की जानी होगी जिससे वन क्षेत्र की सुरक्षा हो सके।
- A solid barrier of not less than 120 m shall be left un-extracted against the Mand river, and a green belt of atleast 60 m wide shall be kept and maintained as safety zone along the bank of river, at proponent's cost.
- Existing embankment, at least 3.0 m wide at the top and at least 3.0 m higher than the HFL, with side sloping not exceeding 45° from the horizontal shall be provided and kept maintained against Mand river and shall be extended up to 898900N in south-west side of the mine in such a way that it is not affected by the proposed extraction. The side of the embankment facing the Mand river shall be pitched with stone, bricks etc.

दिनांक: 19/04/2018

स्थान: रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ रायपुर